

राजस्थान सरकार,

अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- स. 3(16)(1)विविध/अभि/2017/ 1576-1610 दिनांक:- 6-2-17

प्रेषित:-

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,  
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 के संबंध में।

सन्दर्भ:- अनुभागाधिकारी, गृह (ग्रुप-10) विभाग का पत्र क्रमांक प. 11(54)गृह-10/2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र के संलग्न प्राप्त राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन यान निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 की छायाप्रति विभागीय वेबसाईट ([www.prosecution.rajasthan.gov.in](http://www.prosecution.rajasthan.gov.in)) पर उपलब्ध है। उक्त अधिनियम की उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों की अपने अधीनस्थ समस्त अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारीगण से पालना कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय



(अशोक कुमार बम्नावत)

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- अनुभागाधिकारी, गृह (ग्रुप-10) विभाग को सन्दर्भित पत्र की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक अभियोजन  
राजस्थान, जयपुर

12/17  
वि

के निजीवाजे  
2  
1-2-17

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग



जयपुर, दिनांक 31.01.2017

क्रमांक प. 11(54) गृह-10/2016

उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)  
अभियोजन निदेशालय,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 के संबंध में।

संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.01.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि "राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015" पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25.02.2016 के पश्चात राजस्थान सरकार- विधि (ग्रुप-2, विधायी प्रारूपण) विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2016 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 की धारा 1 उपधारा 3 में प्रावधानानुसार-"यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।"

अतः उक्त अधिनियम की छायाप्रति समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान को प्रेषित करते हुए निर्देशित करें कि वे अधीनस्थ अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारीगण को अधिनियम की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
अनुभागाधिकारी 31/1/17

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक प. 11(54) गृह-10/2016

जयपुर, दिनांक 30.1.17

1. पुलिस आयुक्त,  
जयपुर शहर/जोधपुर
2. (समस्त) पुलिस अधीक्षक,  
राजस्थान।

विषय:-राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015" पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25.02.2016 के पश्चात राजस्थान सरकार- विधि (ग्रुप-2, विधायी प्रारूपण) विभाग द्वारा दिनांक 16.03.2016 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 2015 की धारा 1 उपधारा 3 में प्रावधानानुसार-"यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।"

अतः उक्त अधिनियम की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

716/28/1/17  
(देवेन्द्र दीक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह, (विधि)  
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अपराध) राजस्थान, जयपुर।

716/28/1/17  
विशिष्ट शासन सचिव, गृह, (विधि)

